



डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्या: शैक्षिक/२७१/२०२५

दिनांक: १७-११-२०२५

अधिसूचना

माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक २९.१०.२०२५ के अनुपालन में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-२०१६ के अध्याय-४ की धारा-२१ की उपधारा(१) एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-२०१६ के अध्याय-४ की धारा-२१ की उपधारा(१) के अनुसरण के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग) की अधिसूचना १५ जून, २०१७, भारत के राजपत्र के अध्याय-४ की धारा-८ (समान अवसर की नीति का प्रकाशन) की उपधारा-३ के बिन्दु-(ग) में लिखित प्रत्येक स्थापन्न दिव्यांग कर्मचारियों को विशेष छुट्टी देने का नियम के अनुक्रम में दिव्यांग शिक्षकों को ०४ विशेष आकस्मिक अवकाश अनुमन्य किये जाने सम्बन्धी निर्देश जारी किये जाते हैं।

कुलसचिव

संख्या: शैक्षिक/८५६/२५

दिनांक: १७-११-२५

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. समस्त निदेशक/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय आवासीय संस्थान।
२. समस्त प्राचार्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय/अनुदानित अशासकीय/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय।
३. वित्त अधिकारी।
४. परीक्षा नियंत्रक *कुलसचिव*
५. समस्त सम्बन्धित उपकुलसचिव।
६. प्रभारी, कुलपति कार्यालय, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
७. प्रभारी वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर प्रसारित कराने का कष्ट करें।
८. विश्वविद्यालय कार्यदायी एजेंसी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को समस्त महाविद्यालयों की लॉगिन पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
९. अभिलेख खण्ड।

कुलसचिव

१०
१७/११/२५